GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

****

No. 2011/TG-I/10/e-ticketing for disabled. Pt II **New Delhi, dated 23.06.2016**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

MD/CRIS,
Chanakyapuri, New Delhi.

Chairman & Managing Director/IRCTC,
11th Floor, Statesman House,
Barakhambha Road,
New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 28 OF 2016)

Sub: Concession based ticketing including online ticketing for the physically challenged persons using Photo Identity Card issued by the Railways.

Ref: Commercial Circular No. 18 of 2015 dated 19.03.2015.

In partial modification of the instructions issued vide Board's letter dated 19.03.2015, referred to above, the 'Detailed procedure to be followed for implementation of the scheme for concession based e-ticketing through IRCTC as well as issuing Counter Tickets for the physically challenged persons i.e. Orthopedically Handicapped/ Deaf & Dumb/ Mentally Retarded/ Blind Patients' may be amended as follows:-

i. **Para-5** is substituted by the following:-
Concession Certificate issued by the Government Hospital/ Clinic/ Institutions, as the case may be, lying in the area within the jurisdiction of concerned Zonal Railways will be considered for issuing Photo Identity Cards. However, in those cases where the applicant has shifted to a new place and his/her concession certificate has been issued by the Government Hospital of his/her previous residence, he/she may be allowed to apply to DRM's office (suppose A) of current residence. The division will then get the concession certificate verified by the concerned division/zone (suppose B) in which the Government hospital falls which has issued the concession certificate. Such division/zone will then send the verification report to the referring division (A) which had sent the verification request. Based on the verification report, Division 'A' will issue the ID card to the physically challenged person or to his/her representative (with proper authority letter) on his/ her behalf. However, original certificates (including address proof indicating current residence) must be shown at the time of collection of card. The time limit for disposal of the application/issue of ID card in such cases is two months from the date of receipt of application.

ii. Para-8 is substituted by the following:-

The validity of the card will be five years from the date of issue or till the last date up to which the concession certificate is valid, whichever is earlier.

As per rules under IRCA Coaching Tariff No. 26 Para (I) Vol.(II), in certain cases as follows, the validity of concession certificate exceeds five years:-

- In case of permanent disability, the concession certificate is valid for ten years in the age group of 26 to 35 years.
- In case of permanent disability, the concession certificate is valid for whole life of the concerned person above the age of 35 years.

Though fresh verification of the concession certificate is not required in cases where the existing concession certificate is still valid in the above mentioned situations on the expiry of the validity of the photo I.D. card, the same procedure for renewal of the Photo I.D.card as mentioned in Para-11 of C.C. no. 18 of 2015 shall have to be followed.

2. Zonal Railways are requested to ensure effective implementation of the scheme at the earliest under intimation to this office.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG(PR), EDV (T), EDFC, DF(C), DFM, PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3) General Manager/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
4) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
5) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway/Bhuli/Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, NE Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Maula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
6) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow 226 011.
7) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
8) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
10) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
12) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-I/10/ई-टिकटिंग फॉर डिसेबल्ड पार्ट II   नई दिल्ली, दिनांक 29.06.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक/क्रिस,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,
11वां तल, स्टैट्समैन हाउस,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28)

विषय: रेलवे द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र का उपयोग करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन टिकट प्रणाली के साथ-साथ रियायत आधारित टिकट प्रणाली।

संदर्भ: दिनांक 19.03.2015 का 2015 को जारी वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18.

ऊपर संदर्भाधीन बोर्ड के दिनांक 19.03.2015 के पत्र के तहत जारी अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, आईआरसीटीसी के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अर्थात् ओर्थोपैडिकली विकलांग/मूक एवं बधिर/मानसिक रूप से मंद//नेत्रहीन व्यक्तियों को रियायती ई-टिकट एवं काउन्टर टिकट जारी करने से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

i. पैरा-5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी अस्पताल/क्लीनीक/संस्थानों, द्वारा जारी रियायती प्रमाणपत्र के आधार पर फोटो पहचानपत्र जारी करने पर विचार किया जाएगा। बहरहाल, ऐसे मामलों में जिनमें आवेदक किसी नए स्थान पर चला गया हो और उसका रियायती प्रमाणपत्र उसके पिछले निवास स्थान के सरकारी अस्पताल ....

-2/-

द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक को वर्तमान निवास के मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय (मान लें ए) में आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। इस परिस्थिति में, वह मंडल उस संबंधित मंडल/जोन (मान लें बी) जिसके क्षेत्राधिकार में वह सरकारी अस्पताल, जिसने रियायती प्रमाणपत्र जारी किया है, आता है, से उसका सत्यापन कराएगा। उसके बाद वह मंडल/जोन उस मंडल (ए) जिसने सत्यापन करने का अनुरोध किया है, को सत्यापन रिपोर्ट भेजेगा। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, मंडल 'ए' शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि (उपयुक्त प्राधिकार पत्र के साथ) को पहचानपत्र जारी करेगा। बहरहाल, कार्ड प्राप्त करते समय मूल प्रमाणपत्र (निवास प्रमाणपत्र जिसमें वर्तमान निवास दर्शाया गया हो) दिखाना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन का निपटान करने/पहचानपत्र जारी करने की समय-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह है।

ii. पैरा-8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कार्ड की वैधता उसे जारी करने की तारीख से पांच वर्ष तक या रियायती प्रमाणपत्र के वैध होने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, होगी।

आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं. 26, वाल्यूम (II) के पैरा (I) के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित कुछ मामलों में रियायती प्रमाणपत्र की वैधता पांच वर्ष से ज्यादा तक होती है:-

- स्थायी विकलांगता की स्थिति में रियायती प्रमाणपत्र 26 वर्ष से 35 वर्ष के आयु समूह के लिए दस वर्ष के लिए वैध होता है।
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में, रियायती प्रमाणपत्र 35 वर्ष से अधिक आयु के संबंधित व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन तक वैध होता है।

यद्यपि ऐसे मामलों जहां फोटो पहचान पत्र की वैधता समाप्त होने पर ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में मौजूदा रियायती प्रमाणपत्र की, उसके अभी भी वैध होने की स्थिति में पुन: सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, फोटो पहचानपत्र के नवीकरण से संबंधित 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा-11 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।

2. क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय को सूचित करते हुए यथाशीघ्र इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), निदेशक एफ(एम), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
5) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
6) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
7) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
8) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
9) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

******